



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertaking)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

Regd. & Head Office : New India Assurance Building, 87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

(GSTIN No. : 27AAACN4165C3ZP / IRDA Registration No. : 190 / CIN No. : L66000MH191900000526 / UIN No. : IRDAN190P0046V01100001)

जारीकर्ता कार्यालय / Issuing Office :

सरल संपूर्ण किसान बीमा पॉलिसी हेतु प्रस्ताव प्रपत्र PROPOSAL FORM FOR SARAL SAMPURNA KISAN BIMA POLICY

मं. का. / शा. का. - विकास अधिकारी - एजेंसी कोड -

D. O. / B. O. - Dev. Officer - Agency Code - _____ / _____ / _____

प्रस्तावक द्वारा भरा जाए

To be filled in by proposer

1.	प्रस्तावक का नाम : Name of proposer (in block letters) :	
2.	पिन कोड सहित प्रस्तावक का पता : Address of Proposer including Pin Code (in block letters) :	
3.	संपर्क क्र. : लैंडलाइन / मोबाइल नंबर : Contact No. : Landline / Mobile No. :	
4.	ई-मेल पता / E-Mail Address :	
5.	व्यवसाय / Occupation :	

कृपया नोट करें कि खंड - I के अंतर्गत बीमा लेना आवश्यक है ।

Please note that Insurance under Section - I is compulsory.

खंड क्र. Section No.	संपत्ति का विवरण Description of Property	कुल बीमा राशि Sum Insured Rs.	दर (%) Rate (%)	प्रीमियम (कं. के प्रयोग हेतु Premium (for Co. use)
I आवास DWELLINGS	ए. आवास : ए) पक्के निर्माण के लिए - अधिकतम रु. 20,00,000/- A. DWELLING : a) For Pukka Construction : Maximum Rs. 20,00,000/-		ए) 0.0315 a) 0.0315	
	बी) कच्चे निर्माण के लिए - अधिकतम रु. 5,00,000/- b) For Kutcha Construction : Maximum Rs. 5,00,000/-		बी) 0.4315 b) 0.4315	
	अंतर्वस्तु B. HOME CONTENTS : The Sum Insured will be equal to 20% of Sum Insured mentioned in section - I - A.		-	-

II जनता व्यक्तिगत दुर्घटना JANATA PERSONAL ACCIDENT	स्वयं और जीवनसाथी के लिए केवल रु. बीमा राशि प्रति व्यक्ति Self and Spouse only for Rs.1,00,000/- Sum Insured per person						रु. 60/- प्रत्येक Rs.60/- each				
	नाम Name	संबंध Relation	आयु Age	व्यवसाय Occupation	मौजूद अक्षमता / दिव्यांगता Existing Infirmary/Disability						
	नामांकन - नाम : Nomination - Name : _____ संबंध : आयु : Relationship : _____, Age : _____										
III कृषि पम्पसेट (केवल 25 एचपी तक) AGRICULTURE PUMPSET (Upto 25 HP only)	मानक पम्पसेट बीमा पॉलिसी के अनुसार एड-ऑन बाढ़ आवरण के साथ प्रति पम्पसेट अधिकतम बीमा राशि रु. 3,00,000/- । As per standard Pumpset Insurance Policy with Add-on Flood cover Maximum Sum Insured Rs.3,00,000/- per pumpset.					2.25 2.25					
	मेक और निर्माण का वर्ष Make & Year of Mfg.	निर्माता का नाम Name of Manufacturer		पम्पसेट का प्रकार : सेंट्रीफ्यूगल (इलेक्ट्रिक / डीजल) सबमर्सिबल Type of Pumpset : Centrifugal (Electric/ diesel) / Submersible							
IV पशु बीमा CATTLE INSURANCE	बीमा के लिए प्रस्तावक प्रत्येक पशु का पूर्ण रूप से निम्नलिखित विवरण दें । प्रति पशु अधिकतम बीमित राशि रु. 75,000/- है । Give the following particulars in full of each of the animals proposed for insurance : Maximum Sum Insured per Cattle is Rs.75,000/-.								संलग्न विवरण के अनुसार As per Prospectus as attached		
	पशु की टैग संख्या / पहचान चिन्ह Animal's Tag No. / Identification marks	प्रजाति और नस्ल Species & breed	लिंग, रंग और पूर्ण विशिष्ट चिन्ह (जैसे कान के निशान, चिन्ह दोष आदि) Sex, colour & full distinguishing mark (such as ear marks scars, defect etc.)	आयु वर्ष में Age in yrs.	ऊंचाई Height	प्रस्तावक द्वारा क्रय की तिथि तथा प्रस्ताव का क्रय मूल्य Date of purchase by the proposer and cost price to the proposer	वर्तमान बाजार मूल्य (रु.) Present Market value (Rs.)	अपेक्षित बीमा राशि (रु.) Sum for which Insurance required (Rs.)			
	कृपया प्रत्येक पशु के लिए योग्य पशु चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाणपत्र संलग्न करें । Please attach health certificate from the qualified veterinary Doctor for each animal.										

V पशु चालित गाड़ी ANIMAL DRIVEN CART	विवरण दें की गाड़ी ऊंट, बैल या अन्य कोई पशु चालित हैं । पशु चालित गाड़ी के लिए अधिकतम बीमित राशि रु. 1,00,000/- है । Description of Cart driven by Camel, Bullocks or any other animals : Maximum Sum Insured for Animal Driven Cart is Rs.1,00,000/-.					1.40	
	गाड़ी का प्रकार	निर्माण वर्ष	प्रस्तावक द्वारा अदा की गई कीमत	नई या पुरानी		1.40	
	Type of Body	Year of Manufacturer	Actual price paid by Proposer	Whether New or Second Hand			
वित्तपोषित : Hypothecation : _____ बैंक का नाम : _____ शाखा : _____ Branch : _____							
VI पेडल साईकिल PEDAL CYCLE						5.00	
	मेक एवं निर्माता का नाम	निर्माण वर्ष	चेसिस नं. एवं मॉडल	अदा की गई कीमत		5.00	
	Make & Name of Manufacturer	Year of Mfg.	Chassis No. & Model	Net Price Paid			
कुल / TOTAL :					रु. / Rs. :		
घटाएँ - रु. 5000/- से अधिक के प्रीमियम पर 15% की छूट Less – 15% Discount for premium more than Rs. 5000/- :					रु. / Rs. :		
निवल प्रीमियम / NET PREMIUM :					रु. / Rs. :		
18% जीएसटी / 18% GST :					रु. / Rs. :		
कुल / TOTAL :					रु. / Rs. :		

नोट / NOTE :

- खंड - I, न्यू इन्डिया भारत गृह रक्षा पॉलिसी के अनुसार है ।
Section - I is as per New India Bharat Griha Raksha Policy.
- कंपनी का दायित्व तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कंपनी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लिया जाता और पूर्ण प्रीमियम का भुगतान नहीं कर दिया जाता ।
The liability of the company does not commence until proposal has been accepted by the company and the full premium paid
- यदि स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया विवरण के लिए अलग शीट संलग्न करें ।
If space is found insufficient please attach separate sheets for details.
- बीमा आग्रह की विषय वस्तु है ।
Insurance is the subject matter of solicitation.

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि इसमें निहित विवरण सत्य और सही हैं तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है, गलत बयानी या गलत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह प्रस्ताव पॉलिसी का हिस्सा होगा और मेरे / हमारे और कंपनी के बीच अनुबंध का आधार होगा ।

I/We hereby declare that the particulars contained herein are true and correct and that no material facts has been withheld, misstated or misrepresented and that this proposal will form part of the Policy and shall be the basis of contract between me/us and the Company.

बीमा अवधि - / Period of Insurance - से / From : _____ तक / To : _____

स्थान / Place : _____

दिनांक / Date : _____

प्रस्तावक के हस्ताक्षर / Signature of the Proposer

**नामांकन
Nomination**

मैं _____ इसके द्वारा
I _____ do hereby

अपने _____ (बीमाधारक से संबंध)
nominate my _____ (Relation to the Insured)

श्री / श्रीमती _____ को नामित करता हूँ ।
Mr. / Mrs. _____

आयु _____ वर्ष और जिसका पता
Aged _____ years and whose address is _____

वह व्यक्ति है जिसे मेरी मृत्यु की स्थिति में उल्लिखित पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धन/लाभ का भुगतान किया जाएगा और मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उसकी रसीद कंपनी के लिए पूर्ण और अंतिम निर्वहन होगी ।

to be the person to whom the money/benefits secured by the within mentioned policy shall be paid in the event of my death and I further declare that his/her receipt shall be full and final discharge to the Company.

दिनांक इस _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____ पर
Date this _____ day of _____ Month _____ Year _____ at _____

गवाह के हस्ताक्षर
Witness Signature

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
Signature of the Proposer

नाम और पता :
Name & Address : _____

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 - छूट का निषेध

INSURANCE ACT 1938 SECTION 41 - Prohibition of Rebates

कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में किसी भी प्रकार के बीमा को लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए एक प्रलोभन के रूप में अनुमति देने या अनुमति देने की पेशकश नहीं करेगा । पूरे या आंशिक रूप से कोई छूट देय कमीशन या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम की कोई छूट और न ही पॉलिसी लेने या नवीनीकरण करने वाला कोई व्यक्ति कोई छूट स्वीकार करेगा । सिवाय ऐसी छूट के जो बीमाकर्ता की प्रकाशित विवरणिका या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है ।

No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly, as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the published prospectus or tables of the insurer.

इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माना जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, के साथ दंडनीय होगा ।

ANY PERSON MAKING DEFAULT IN COMPLYING WITH THE PROVISIONS OF THIS SECTION SHALL BE PUNISHABLE WITH FINE WHICH MAY EXTEND TO TEN LAKH RUPEES.

कृते दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
For THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED

विधिवत गठित प्राधिकारी
Duly Constituted Attorney(s)